

# कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांक: मान्यता / 264

/ 2016

पत्रांक: / शिविर / 144

/ 2016-17

प्रबंधक.

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2016

माँ जामकोदेवी जिउता देवी पब्लिक स्कूल संतपटी।

विकास खण्ड से वरही,

जनपद-कुशीनगर।

**विषय-** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/ महोदया,

आपके दिनांक: 30.४.१६ के आवेदन और इस सन्दर्भ में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, माँ जामकोदेवी जिउता देवी पब्लिक स्कूल संतपटी, विकास खण्ड- से वरही, जनपद-कुशीनगर को दिनांक-01 जुलाई, 2016 से दिनांक-30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपावंध-1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपावंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नरसीरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन सन्ूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक यैक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का तंग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्थीरिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- ❖ प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- ❖ किसी भी बालक को शारीरिक दंड-या मानक्षिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा;
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई योर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
- ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
- ❖ अधिनियम के उपनियम के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;
- ❖ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं। पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
- ❖ अव्यापक अधिनियम की धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है; और
- ❖ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

  
Principal

Maa Janki Devi  
Jeevita Devi Public School  
Sumahi Sant Patti, Seorahi  
Kushinagar-274406 (U.P.)

  
Manager

Jeevita Devi Public School  
Sumahi Sant Patti, Seorahi  
Kushinagar-274406 (U.P.)

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- ❖ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- २४४०६ वर्ग फुट
  - ❖ कुल निर्भित क्षेत्रफल-
  - ❖ क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-
  - ❖ कक्षाओं की संख्या- १३
  - ❖ प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भांडारागार के लिए कक्ष- ०२
  - ❖ यालक और वालेकाओं के लिए पृथक शौचालय-०६+०६
  - ❖ पेयजल सुविधा-ट्रैक्टर यम्प
  - ❖ मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-
  - ❖ वाधारहित पहुंच-
  - ❖ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी घार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नेवनों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक जेडा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्राते प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या- २८४ / 2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और तूयना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदरों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न उपादान के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय,

(पन्ना राम गुप्ता)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,

कुशीनगर।

Principal  
Maa Janki Devi  
Jeeuta Devi Public School  
Gurkahi Sant Patti, Seorahi  
Kushinagar-274406 (U.P.)

Manager  
Maa Janki Devi  
Jeeuta Devi Public School  
Sumahi Sant Patti, Seorahi  
Kushinagar-274406 (U.P.)